राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 09.07.2014

प्रेस–विज्ञप्ति

आयोग द्वारा दिनांक 12.07.14 से 20.07.14 तक आयोजित होने वाली प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2013, की व्यवस्थाओं बाबत जिला प्रशासन के समन्वयकों, जिला कलक्टर एवं पुलिस अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :–

1. केन्द्र पर नियुक्त अभिजागर, क्लर्क एवं च.श्रे.क. परीक्षा के दिन केन्द्र पर मोबाईल फोन लेकर उपस्थित नहीं होंगे, यदि कोई कार्मिक मोबाईल फोन लेकर उपस्थित हो जाता है तो उनके मोबाईल फोन केन्द्राधीक्षक द्वारा जमा कर लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
2. **परीक्षा में 1½ घन्टे के पेपर में परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से सिर्फ 5 मिनट बाद तक एवं 3 घन्टे के पेपर में परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 10 मिनट बाद तक उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति दी जावेगी। इसके पश्चात् देरी से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।**
3. परीक्षा केन्द्र के केम्पस के 200 मीटर तक दायरे में अभ्यर्थियों के परिजन व जो परीक्षार्थी नहीं है, को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परीक्षा शुरू होते ही मुख्य द्वार को बन्द करवा दिया जायेगा।
4. समन्वयक द्वारा यथा संभव राजकीय तथा निजी विद्यालयों में 100 प्रतिशत रूप से अभिजागर राजकीय अध्यापकों को ही बनाया जायेगा।
5. केन्द्रों पर ब्लू–टूथ उपकरणों आदि से नकल रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरती जायेगी।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव